

# सलमान खान और अन्य दागी कलाकारों का बीमा नहीं करेगी कंपनियाँ

भले ही मंबई की अदालत को सलमान खान पर फैसला करने में 13 साल लग गये हों लेकिन बीमा कंपनियों ने उनकी फिल्मों का इंश्योरेंस करते समय तुरंत ही फैसला ले लिया था। इंश्योरेंस कंपनियों ने शूटिंग के लिए उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सलमान खान को नॉन अपीयरेंस कवर देने से पहले ही इनकार कर दिया था।

ऐनालिस्टों का कहना है कि सलमान की अधूरी फिल्में दबंग 3 और प्रेम रतन धन पायो पर 200 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। बीमा कंपनियों ने यह भी कहा कि वे थर्ड पार्टी क्लेम को भी स्वीकार नहीं करेंगी क्योंकि जब सलमान की गाड़ी बांद्रा बेकरी से टकराई थी तो वह बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी।

जब गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति शराब के नशे में होता है तो इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत थर्ड पार्टी मोटर क्लेम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एक सीनियर ऐग्जिक्युटिव ने बताया, 'सलमान खान बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे और इस तरह के मामलों में इंश्योरेंस पॉलिसियां भुगतान नहीं करती हैं।'

उनकी करीब-करीब पूरी होने वाली दो फिल्में कबीर खान की बजरंगी भाई जान और सूरज बाइजत्या की प्रेम रतन धन पायो बुरी तरह प्रभावित होगी लेकिन उनके लिए किसी तरह का क्लेम नहीं मिलेगा।

आईसीआईसीआई लंबार्ड के इंश्योरेंस हेड संजय दत्ता ने बताया, 'इंश्योरेंस कंपनियां आपराधिक मामलों में आरोपी ऐक्टरों का इंश्योरेंस नहीं करेंगी।' इंश्योरेंस कंपनियां फिल्म के बजट के आधार पर सम अश्योर्ड के 3-5 फीसदी प्रीमियम चार्ज करती हैं।

प्रॉडक्शन हाउसों ने अपने वेंचरों के लिए इंश्योरेंस कवर लेना शुरू कर दिया है। फिल्म को कैसल होने या स्थगित होने पर इंश्योरेंस कंपनियां क्षतिपूर्ति करती हैं। ऐग्जिक्युटिव ने बताया, 'फिल्म को कैसल होने के अलावा इंश्योरेंस कंपनियां कुछ शहरों में फिल्म की रिलीज में दिक्कत के कारण होने वाले नुकसानों का बीमा करती हैं। ऐग्जिक्युटिव ने बताया कि इस तरह का कवर फना के लिए दिया गया था जो गुजरात में रिलीज नहीं हो सकी थी।

साभार- इकॉनामिक टाइम्स से